लय

फर्द अहकाम

हरीराम बनाम सरकार
111/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।	
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते आदेश/बहस हेतु दिनांक 7/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible]
7/6/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अधि. पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:57:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 111/2023
निर्णय दिनांक :07.06.2024

1. छीतरमल कुमावत पुत्र स्व. श्री गोविन्दराम कुमावत, आयु 52 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।
2. नवी बक्शा (मृतक दौराने वाद) पुत्र अल्ला बक्श
3. लादू खॉ पुत्र अल्ला बक्श (मृतक दौराने वाद)
   3/1. मु. गुलाब पत्नी लादू खॉ
   3/2. नाथू खां पुत्र लादू खां
   3/3. खांजू खां पुत्र लादू खां (10 वर्षो से लापता)
   3/4. अल्ला बंधा पुत्र लादू खां
4. रमजान खॉ पुत्र अल्ला बक्श (मृतक दौराने वाद)
   4/1. भूरी खां, आयु 60 वर्ष पत्नी रमजान खॉ,
   4/2. रोशन खां पुत्र रमजान खॉ,
   4/3. यासीन खां पुत्र रमजान खॉ,
   4/4. बाबू खां पुत्र रमजान खॉ,
   4/5. पप्पू खांप ुत्र पुत्र रमजान खॉ,
5. सुबराती पुत्र अल्लाबक्श
   समस्त जातियान पिनारा, निवासीयान ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती इन्द्राज</u>

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम कलवाडा के खाता संख्या 107 में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 579 रकबा 1.12 हैक्टेयर व खसरा नंबर 580, रकबा 0.52 हैक्टेयर, कुल किता 2 दो का रकबा 1.64 हैक्टेयर भूमि साबिक इन्द्राज में नवी बक्शा, लादू खां, रमजान खां (मृतक दौराने दावा) व सुबराती खा पितरान अल्लाबक्श जाति पिनारा के नाम हिस्सा हिस्सा 1/2 व हनुमान, कान्हा, पिसरान मगला, जाति कुम्हार साकिन देह कलवाडा के नाम हिस्सा 1/2 के अनु[illegible] 579 व 580 का हिस्सा 1/2 नवीबक्श, लादू खां, रमजानी (म[illegible] दौरा[illegible]वा) व सुभाती पुत्रान अल्लाह बक्श का प्रार्थी ने जरिये [illegible] 30.08.91 को क्रय कर लिया जिसका विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जल्द [illegible] 133, बुक संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:57:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

182 के पृष्ठ संख्या 371 से 372 तक एवम् अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 के भाग संख्या 137 के पृष्ठ संख्या 9 से 13 पर पंजीबद्ध हुआ तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 18, दिनांक 27. 12. 1991 को राजस्व शिविर कलवाड़ा में प्रार्थी के पक्ष में भरकर तस्दीक कर दिया गया।

यह कि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई खातेदारी के पश्चात उक्त खसरा नंबर 579 रकबा 1. 12 हैक्टेयर व खसरा नंबर 580 रकबा 52 हैक्टेयर कुल किता 2 का रकबा 1.64 हैक्टेयर का विभाजन श्रीमान तहसीलदार साहब सांगानेर के आदेता भू–अभिलेख 93/6856, दिनांक 18. 10.93 के अनुसार बंटवारा पत्र के आधार पर खसरा नंबर 579 के मिन भाग का रकबा 0.30 हैक्टेयर व खसरा नंबर 580 का संपूर्ण रकबा 0.52 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 2 का रकबा 82 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया गया तथा शेष हिस्सा खसरा नंबर 579 का 82 एयर हनुमान कानाराम पितरान मंगला व मनभर पुत्री मंगला हिस्सा बराबर के अनुरूप दर्ज कर नामान्तरण संख्या 81, दिनांक 21.10.1993 को दौराने भू प्रबंध कार्यवाहियां सहायक भू अभिलेख निरीक्षक अधिकारी एवम् तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक कर दिया गया। उक्त खाता संख्या 107 के बाबत किये गये विभाजन के पश्चात प्रार्थी के हक व हिस्से में दर्ज की गई खसरा नंबर 579 रकबा 0.30 हैक्टेयर का नया नंबर 579/2897 कायम किया गया व खसरा नंबर 580 का रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किया गया व खसरा नंबर 580 का रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम कर कुल किता 2 का रकबा 0.82 हैक्टेयर कायम कर, पर्चा खतौनी खाता संख्या 107/1 के बाबत प्रार्थी के नाम जारी कर उक्त पर्चा खतौनी पर नोट मार्क किया गया नामान्तरण संख्या 81, दिनांक 21.10.93 के अनुसार नवीन पर्चा बनाया गया। उक्त पर्चा खतौनी दि. 26. 10.93 को बनाया जाने पर दि. 29.10.93 को प्रार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपी जारी कर दी गई। उक्त सैटलमेंट कार्यवाहियों के समापन के पश्चात जारी की गई आधार वर्ष 2054 की जमाबंदी में कायम किये गये बाता संख्या 107 में दर्ज इन्द्राज साबिक खातेदारान के पक्ष में बदस्तूर पूर्ववत नवीबक्या, लादू खां, रमजान तीनों (मृतक दौराने दावा) व सुभ्राती में पिसरान अल्लाहबक्श, जाति पिनारा, व सूज्या पुत्र चून्या, जाति कुम्हार के नाम खसरा नंबर 579 व 580 का रकबा 1.64 हैक्टेयर के बाबत जारी कर नामान्तरण नं. 84 दि 28.06.89 के आर्देशानुसार सूज्या पुत्र चून्या के स्थान पर उसके स्थान पर उसके वारिसान हनुमान कान्हाराम पिसरान मंगला व मनभर पुत्री मंगला के हक में समझा जावे का नोट अंकित किया गया जबकि नामान्तरण संख्या 18 दिनाक 27.12.91 में नवीबक्श, लादू खां आदि ... के स्थान पर प्रार्थी का नाम अंकित हो चुका था ... भी रेकार्ड पर आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:57:02 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के थे। उक्त नामान्तरण संख्या 18 के तस्दीकी पश्चात नामान्तरण संख्या 81 जो के विभाजन के बाबत दिनांक 21.10.93 को भरा गया उसमें भी प्रार्थी का विधिवत रूप से विभाजन कर विभाजन का नामान्तरण भर दिया गया था एवं उक्त नामान्तरण के आधार पर पर्चा खतोनी भी प्रार्थी के हक में तैयार कर दी गई थी जिसका खाता संख्या 107/1 दर्ज किया गया था, परन्तु उक्त तमाम कार्यवाहियों की अनदेखी कर आधार वर्ष के बाबत जारी नवीन जमाबंदी में उक्त संपूर्ण इन्द्राज का विलोप कर दिया गया जबकि ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी के खसरा नंबर 579/2897 रकबा 0.30 हैक्टेयर व 580 रकबा 0.52 हैक्टेयर का समपरिवर्तन आदेश भी तहसीलदार सांगानेर के द्वारा दिनांक 19.11.93 को प्रार्थी के पक्ष में रि दिया गया तथा उक्त भूमि आवासीय 7560 वर्गमीटर व वार्णिज्यक 640 वर्गमीटर भी प्रार्थी के नाम संपरिवर्तित कर दी गई किन्तु उक्त तमाम नामान्तरणों व आदेशों की अनदेखी कर व पर्चा खतोनी के विपरीत आधार वर्ष बाबत तैयार की गई जमाबंदी व सम्मत 2058 में पूर्व खातेदारान नवी बक्शा, लादू खां व रमजान खा (तीनों मृतक दौराने दावा) व सुभाती पिसरान अल्लाहबक्श का नाम दर्ज कर दिया गया जो का बिले दुरूस्ती है। उक्त चूक दौराने भू प्रबंधक कार्यवाहियों हुई है जिसकी दुरुस्ती अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्ये एक्ट किया जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण की सुनवाई एंव निर्णित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये पर्चा खतोनी संख्या 107/1 के अनुसार हाल ख नं 579/2897 रकबा 0.30 हैक्टेयर व ख नं. 580 रकबा 0.52 हैक्टेयर स्थित ग्राम क कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का अंकन प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश परमाने की कृपा करें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये पर्चा खतोनी संख्या 107/1 के अनुसार हाल ख नं 579/2897 रकबा 0.30 हैक्टेयर व ख नं. 580 रकबा 0.52 हैक्टेयर स्थित ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का अंकन प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:57:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थी एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी किये गये पर्चा खतोनी संख्या 107/1 के अनुसार ल ख नं 579/2897 रकबा 0.30 हैक्टेयर व ख नं. 580 रकबा 0.52 हैक्टेयर ्थित ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का अंकन प्रार्थी के नाम र्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार ांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम ोकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:57:02 IST
Reason: SelfAttested